संख्या-67/2017/इक्कीस-उर्दू-2-2017

प्रेषक

शिशिर,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में

शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)
उत्तर प्रदेश लखनऊ

भाषा उर्दू अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 29 नवम्बर, 2017**

विषय - उर्दू की वैकल्पिक प्रवीणता परीक्षा वर्ष 2017-18 के संचालन हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में सरकारी अधिकारीयों कर्मचारिओं के लिए उर्दू की वैकल्पिक प्रवीणता परीक्षा संपन्न करने हेतु श्री राज्यपाल महोदय रु० 250000- रु० दो लाख पचास हज़ार मात्र की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं व्यय हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त धनराशि शासन के निर्देशानुसार आपके माध्यम से रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाएं उत्तर प्रदेश इलाहबाद द्वारा व्यय की जायेगी और परीक्षा सम्बन्धी समस्त औपचारिकताओं के पूर्ण होने एवं पुरुस्कार वितरण के पश्चात पूर्ण धनराशि का लेखा जोखा एवं निर्धारित प्रारूप में उपभोग प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत किया जायेगा ।

3- उक्त धनराशि पर वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड-5 भाग-1 के अध्याय-16-ए--के अंतर्गत निहित प्राविधान लागू होंगे ।

4- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या - 39 के अधीन लेखा शीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 05 भाषा विकास 102 आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का संवर्धन 06 राज्य कर्मचारिओं को उर्दू की दक्षता परीक्षा पास करने पर पुरस्कार की योजना 20 सहायता अनुदान सामान्य गैर वेतन के नामे डाला जायेगा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5-यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या ई-7-754/दस-2017 दिनांक-28-11-2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(शिशिर)
विशेष सचिव

संख्या-67(1)/ इक्कीस-उर्दू-2-2017(170(21)2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1-प्रधान महालेखाकार, जनरल एंड सोशल सेक्टर ऑडिट उत्तर प्रदेश इलाहाबाद
2- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम एवम द्वीतीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद
3- महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम एवम द्वीतीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद
4- कोषाधिकारी, इलाहाबाद
5- सचिव,परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाएं उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि व्यय का विवरण शिक्षा निदेशक माध्यमिक के माध्यम से शासन को प्रेषित किये जाये
6- उप शिक्षा निदेशक उर्दू उत्तर प्रदेश लखनऊ
7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7
8- वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1
9- वरिष्ठ मुख्य लेखा अधिकारी, शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ।
10-वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी उत्तर प्रदेश हिंदी संसथान लखनऊ ।
11- भाषा उर्दू अनुभाग-4 ।
12- स्वीकृति पंजी ।
13- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(नियाज़ अहमद खां)
अनु सचिव भाषा

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।